



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

31 ज्येष्ठ 1938 (श10)
(सं0 पटना 503) पटना, मंगलवार, 21 जून 2016

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

अधिसूचना
17 जून 2016

सं010/मु. संशोधन-77/2016-2964—रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा-78 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल भुगतये निबंधन शुल्क निम्नवत् तय करते हैं : —

दस्तावेज का प्रकार	देय निबंधन शुल्क
(क) सभी प्रकार के शिक्षा संबंधी ऋण	ऋण का 0.5%
(ख) सभी प्रकार के स्वास्थ्य चिकित्सा संबंधी ऋण	ऋण का 0.5%

02. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
के0 के0 पाठक,
सरकार के प्रधान सचिव।

17 जून 2016

सं010/मु. संशोधन-77/2016-2964 उपर्युक्त अधिसूचना का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त राज्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
के0 के0 पाठक,
सरकार के प्रधान सचिव।

The 17th June 2016

No. 10/Mu. Amendment-77/2016-2964—In exercise of the powers conferred under Section 78 of the Registration Act, 1908, the Governor of Bihar is pleased to determine the registration fee payable as under : -

Type of document	Payable Registration Fee
(a) All types of educational loan	0.5% of the loan amount
(b) All types of Health treatment loan	0.5% of the loan amount

02. This notification will come into force with immediate effect.

By the Order of the Governor of Bihar,
K. K. PATHAK,
Principal Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 503-571+500-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>